



2026:AHC:177687

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 7202 वर्ष 2026

नितिन सिंघल

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहन लाल पाण्डेय, निशि कान्त चतुर्वेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहन लाल पांडे और राज्य की ओर से विद्वान् एजीए श्री बी.पी. सिंह को सुना गया।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 224/2020 (भादंसं की धारा 376 और आईटी अधिनियम की धारा 67क, पुलिस थाना सुंगरही, ज़िला पीलीभीत) में प्राथमिकी के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है और प्रथिमिकी के अनुसार, आवेदक पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता बालिग महिला है और उसकी चिकित्सीय-विधिक आख्या बलात्कार होने की पुष्टि नहीं करती है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 3.12.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह कहा गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अगर आवेदक को ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और प्राथमिकी की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, एजीए ने ज़मानत की मांग का ज़ोरदार विरोध किया लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके; हालाँकि, यह कहा गया कि घटना 2021 में हुई थी और आवेदक पिछले चार सालों से फरार था।

5. जवाब में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक ने अग्रिम ज़मानत के लिए प्रार्थना-पत्र दी थी, जिसे सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

6. प्रथमिकी में लगे आरोपों के अनुसार, आवेदक पर शादी का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है, हालाँकि, पीड़िता की चिकित्सीय-विधिक आख्या बलात्कार होने की पुष्टि नहीं करती है। आवेदक 3.12.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और प्राथमिकी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम यूपी राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765 मामले में इस न्यायालय की ज़मानत देने से जुड़े दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए- और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना- मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. इसलिए, यह प्रार्थना-पत्र **स्वीकार किया जाता है**।

9. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - **नितिन सिंघल** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए प्राथमिकी/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

(v) आवेदक हर तारीख पर संबंधित न्यायालय के सामने पेश होगा और बिना वजह स्थगन की मांग नहीं करेगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा।

11. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की पुष्टि करनी चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्राथमिकी न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह बेल देने की नीति रणनीति स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4 वर्ष 2021, फैसला 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में दर्ज, के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए आवेदक को ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अगस्त 21, 2026

अभिषेक